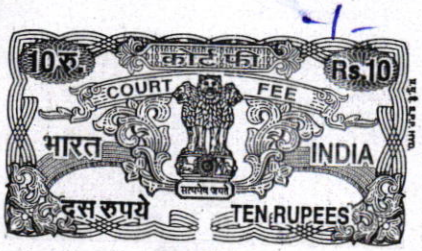

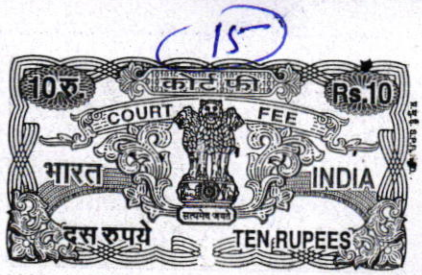

-1-

(15)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर(म0प्र0)

कैम्प सागर

निग-3467-I-16

1.सोहन पिता मठोले अहिरवार
2.रमेश पिता मठोले अहिरवार
3.राधाबाई पुत्री मठोले अहिरवा
तीनों निवासी हाऊसिंग बोर्ड सिंधी कालोनी बीना
4.राकेश पिता किशन अहिरवार
5.चंदाबाई पुत्री किशन अहिरवार
6.बैनीबाई वेबा किशन अहिरवार
सभी 4से6तक के निवासी जगजीवनराम वार्ड
खुरई जिला- सागर(म0प्र0)

............आवेदकगण

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा-कलेक्टर,सागर(म0प्र0)

..........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला सागर के प्र0क्र076-अ/21/2015-16 दिनाँक [illegible] में पारित आदेश दिनाँक 8/3/16 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगण के पूर्वज को म0प्र0शासन द्वारा ग्राम परसोरा प0ह0नं024 तह0खुरई जिला सागर में वर्तमान् ख0नं0171/3 एवं171/4 की कुल भूमि 5.80एडक वर्ष 1960-61 में पट्टे पर प्रदान की गयी थी जिसकी मृत्यु उपरांत आवेदकगणों के पिताओं को बराबर-बराबर भूमि वारिशान नामांतरण में प्राप्त हुयी एवं पृथक-पृथक हिस्सा होकर पृथक-पृथक बटवारा कब्जे अनुसार पूर्व में हो गया था। आवेदकगण के पिता मठोले एवं किशन की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि आवेदकगणों के नाम वारिशान नामांतरण में दर्ज हुयी, जिसका ख0नं0171/3 रकवा 0.54हे0 एवं ख0नं0171/4 रकवा 0.54हे0 कुल 1.08हे0 में से 2 एकड़ भूमि के विक्रय हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् प्रस्तुत किया था एवं उक्त भूमि के विक्रय पश्चात् ग्राम आलखेडी मौजा की

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R3467-I/16 ..... जिला ..... सागर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.10.16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र अहिरवार उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर सागर के प्र.क्र. 76/अ—21/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 के विरूद्व म.प्र. भू—राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक के विद्वान अविक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगणों के पूर्वजों को वर्ष 1960—61 में भूमि स्वामी स्वत्व का पट्टा पूर्वजों को प्रदान किया गया था जो वारिशान हक में आवेदकगणों के नाम दर्ज है जिसमें भूमि ख.क्र. 171/3,171/4 रकवा कमशः 0.54 हे0, 0.54हे0 कुल रकवा 1.08हे0 में से 0.80 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था और यह भी निवेदन किया था कि आवेदकगण जितनी भूमि का विक्रय कर रहे है उतनी ही अन्य भूमि क्रय करना चाहते है। प्रस्तुत आवेदन के उपरांत अधीनस्थ तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति उपरांत भी पुनः प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने से और भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान न करने से यह निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकगणों की भूमि ग्राम परसौरा में स्थित है एवं आवेदगण उक्त भूमि से काफी दूरी से निवासरत है तथा भूमि पडती पडी है इस कारण वे अपने निवास स्थान के समीप कृषि योग्य उपजाऊ भूमि क्रय करना चाहते है जिसके विक्रय हेतु तहसीलदार द्वारा संपूर्ण जॉच उपरांत अपने प्रतिवेदन दिनॉक 19.2.2016 में निर्धारित कंडिकानुसार	

R. 3467-A/16 (सागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
	भूमि विकय की अनुमति दिये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर सागर के समक्ष प्रेषित किया था जिसके आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जाना थी किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि विकय की अनुमति प्रदान न कर पुनः जानकारी प्रतिवेदन की मांग किये से यह निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। 3— आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। आवेदक ने कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विकय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था आवेदक के आवेदन पर तहसीलदार खुरई द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित कर भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की है। आवेदकगण की ओर से मेरे समक्ष इस तथ्य का शपथ—पत्र प्रस्तुत किया है कि वह जितनी भूमि विकय करना चाहता है उतनी ही भूमि क्रय कर रहा है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत तथा प्रकरण की अघतन स्थिति के परिपेक्ष्य में आवेदकगणों द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.16 निरस्त किया जाकर आवेदकगणों की ग्राम परसौरा में स्थित भूमि ख0नं0171/3 एवं 171/4 रकवा क्रमशः 0.54हे0, 0.54हे0 में से 0.80 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विक्रय—विलेख संपादित होने के दौरान, शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं—उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें। सदस्य	